

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांक:— आ.प्र. एवं सआ/अग्नि/भुगतान/2021/3993-4000

दिनांक: 18 मई, 2021

:- आदेश :-

तहसील कार्यालय प्रतापगढ़ एवं पीपलखुंट के पत्र क्रमांक:—सहायता/2021/10 एवं पत्र क्रमांक:—सहायता/2021/167 दिनांक 17.05.2021 द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से मानवक्षति होने पर मृतक आश्रितों को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नांकित प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाये गये है।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अरनोद की अनुशंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संशोधित आदेश No. 32-7/2014- NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 01 (a) में वर्णित प्रावधानानुरूप उक्त बजट मद से मृतक के परिजन को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है।

क्र. स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एवं विवरण	स्वीकृत राशि
01	श्रीमती रामीबाई पति प्रेमचन्द्र मीणा निवासी रतनीयाखेड़ी प.म. पानमोड़ी तहसील प्रतापगढ़	दिनांक 16.05.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से पति श्री प्रेमचन्द्र पिता गमेर मीणा की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता।	4,00,000 /—रु.
02	श्रीमती सन्तोष पति सीताराम मीणा निवासी सोमावतों का खेड़ा प.म. वीरपुर तहसील पीपलखुंट जिला प्रतापगढ़	दिनांक 16.05.2021 को आकाशीय बिजली गिरने से पति श्री सीताराम पिता मोतीलाल मीणा की मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता।	4,00,000 /—रु.
कुल योग			8,00,000 /—रु.

(अक्षरे आठ लाख रुपये मात्र)

नोट:—

- राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगा:
2245-01-800-(03)-(02)-12
- राशि के आहरण एवं व्यय में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय-2 पर जारी आदेशों/निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
- आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जावे।
- स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावे।

भवदीय

(रिणू जयपाल)

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़

क्रमांक:— आ.प्र. एवं सआ/अग्नि/भुगतान/2021/

दिनांक: मई, 2021

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
- वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
- उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ़/पीपलखुंट।
- परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
- कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
- तहसीलदार, प्रतापगढ़/पीपलखुंट।
- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ़।
- लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

— sd —
जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
प्रतापगढ़